2024/36

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
1. श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं **16 वर्ष 2024**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.02.2024	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना सिरोही सदर के सी. आर. नं. 07 दिनांक 04.01.2024 में उपाधीक्षक पुलिस वृत शिवगंज द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 19.01.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 04.01.2024 को श्री विवेकसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत शिवगंज द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.01.2024 को श्री शैतानसिंह सहायक उपनिरीक्षक मय टीम के साथ रात्रिकालीन गश्त के लिए रवाना हुए तो दौराने गश्त डीएसटी प्रभारी श्री शिवपालसिंह ने सूचना दी कि वाडेली नदी पर अवैध 800 लीटर पेट्रोल जो कमाण्डर जीप में भरा हुआ है, जिसके पास परिवहन करने बाबत् अनुज्ञा पत्र नहीं है, मौके पर आवे, जिस पर रात्रिकालीन गश्त अधिकारी रमेशदान हैडकानि. मय जाब्ता के पहुंचे। मौके पर वाहन जीप संख्या आरजे 30 सी 0092 को पिछली बॉडी की जगह आसमानी कलर के चार प्लॉस्टिक के ड्रम रखे हुए मिले। जीप चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहन जाति राजपूत निवासी उथ पुलिस थाना पालडी एम होना बताया। श्री इन्द्रसिंह से जीप में रखे चार ड्रमों के बारे में पूछा तो उसने चारों ड्रम पेट्रोल भरा हुआ होना बताया, जिसे वह हाईवे होटलो पर खडे टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। मौके पर जीप	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

को चैक करने पर जीप में आसमानी कलर के चार प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक ड्रम 200–210 लीटर क्षमता के सभी पेट्रोल से भरे हुए थे। श्री इन्द्रसिंह से उक्त पेट्रोल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघंन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भंवरसिंह देवडा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing personal bond of Rs 50000 with one sur**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर आदेश प्रदान करावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा पेट्रोल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले

जिला कलेक्टर, सिरोही

जाया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें। प्रार्थी द्वारा जीप की पिछली सीटों को हटाकर पेट्रोल व डीजल की चोरी करने के काम में लिया जा रहा है। पूर्व में प्रार्थी को इसी वाहन के साथ पेट्रोल व डीजल की चोरी करते हुए पकडा गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया था, इसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को इसी काम में लिया जा रहा है। अतः प्रार्थी के उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर दिए जाने से प्रार्थी द्वारा पुनः इसी काम में लिया जाएगा। उपाधीक्षक पुलिस शिवगंज द्वारा थाना सिरोही सदर के मुकदमा संख्या 07 दिनांक 04.01.2024 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 को कब्जे सरकार लिए गए पेट्रोल के साथ कब्जे सरकार लिया गया है। अतः वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर के एफ आई आर क्रमांक 07 दिनांक 04.01.2024 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो इस निष्कर्ष इस प्रकार है कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 को प्रार्थी द्वारा पेट्रोल चोरी करते हुए पाए जाने से मौके से उक्त पेट्रोल एवं वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। मौके पर श्री इन्द्रसिंह से उक्त पेट्रोल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिए गए वाहन एवं प्रार्थी को पूर्व में भी पेट्रोल व डीजल चोरी करते हुए पकडा गया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर देने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण संख्या 62/2022 दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 24.05.2022 को इसी वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 को जमानत एवं सुपुर्दगीनामा पर प्रार्थी को सुपुर्द किया था, परन्तु इसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा वाहन को पुनः इसी काम में लिए जाने से एक ही वाहन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अपराध की बार–बार पुनरावृत्ति की जा रही है। पुलिस द्वारा कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

सरकार लिए गए वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 की पिछली सीटों को प्रार्थी द्वारा हटाकर उसे पेट्रोल व डीजल की चोरी करने के उद्देश्य से ड्रमों के रखने के काम में लिया जा रहा है एवं यह तथ्य प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि कब्जे सरकार लिए गए वाहन की पिछली बॉडी में सीटों को हटाकर उसमें पेट्रोल के ड्रम रखे हुए थे। अतः उपरोक्त अवलोकन से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन को पेट्रोल व डीजल की चोरी करने के उद्देश्य से ही काम में लिया जा रहा है एवं प्रार्थी द्वारा वाहन की पिछली सीटों को हटाकर उसमें अवैध पेट्रोल के ड्रमों को रखकर परिवहन किए जाने से प्रार्थी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लघंन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी के कब्जे सरकार लिए गए वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 का पंजीयन दिनांक 25.05.2022 तक ही वैध था, परन्तु लम्बा समय व्यतीत होने के बाद भी प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन का पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाया गया है एवं न ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन नवीनीकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो। प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि वाहन के पुलिस थाने की हिरासत में होने से पंजीयन नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा वाहन को दिनांक 04.01.2024 को कब्जे सरकार लिया है एवं वाहन का पंजीयन दिनांक 25.05.2022 तक ही वैध था, परन्तु प्रार्थी द्वारा इस अवधि में पंजीयन नवीनीकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वाहन को पेट्रोल व डीजल चोरी करने के उद्देश्य से काम में लिया जा रहा है एवं वाहन की पिछली सीटों को हटाकर उसमें अवैध पेट्रोल के ड्रमों को रखकर परिवहन किए जाने से प्रार्थी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का भी उल्लघंन किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इसी वाहन को जमानत एवं सुपुर्दगीनामे [illegible] पुनः उसी अपराध को किया जा रहा है। [illegible] कब्जे सरकार लिए वाहन के द्वारा एक ही अपराध [illegible] बार–बार पुनरावृत्ति किए जाने से यदि वाहन को पुनः जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर दिया जाता है तो प्रार्थी द्वारा फिर से इसे पेट्रोल एवं डीजल चोरी करने के उद्देश्य से काम में लिया जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचननानुसार पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिए गए वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए वाहन संख्या आरजे 30 सी 0092 का निस्तारण नियमानुसार नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही एवं जिला परिवहन अधिकारी सिरोही को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.03.15 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested